न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

दर्ज दिनांक 04.12.2024

राजस्व प्रकरण संख्या :–116 / 2024
जीसीएम प्रकरण संख्या :– 2024 / 283
अन्तर्गत धारा :– 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. कमलादेवी पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगुनाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. प्रेमनाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लादुनाथ पिता धीसानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवानाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हीरानाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मीदेवी पत्नि प्रभुवन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भागुनाथ पिता नन्दानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. वद्रीदेवी पत्नि वाबुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपरिथत
जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एकपक्षीय

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बावत्)

:: निर्णय ::

दिनांक:– 05.08.2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बांद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 10.06.2025 के द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात खाता संख्या 175 में अंकित आराजी संख्या 663 / 403 रकबा 0.37 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 64 / 185 हिस्से का एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की शामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 244 में अंकित आराजी संख्या 311 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 319 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 320 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 321 रकबा 0.43 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि में वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की शामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 159 में अंकित आराजी संख्या 404 रकबा 0.55 है0 भूमि मे वादी संख्या 2 का 4 / 9 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/858 दिनांक 10.07.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया ।

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
1	2	3	4	5
1	कमलादेवी पत्नि मांगुनाथ 37/64 जोगी, मांगुनाथ पुत्र अमरनाथ 27/64 जोगी	ग्राम गियाला (खाता संख्या 175)	663/403/1	0.1280
		योग	1	**0.1280**
2	प्रेमनाथ योगी पुत्र शंकरनाथ जोगी 57/242, प्रेमी पत्नि नारूनाथ 35/484 जोगीनाथ, लक्ष्मी पत्नि प्रभुवन 37/242 जोगी, लादूनाथ पुत्र घीसानाथ 37/242 जोगी, सुवानाथ पुत्र अमरनाथ 37/242 जोगी, हीरानाथ पुत्र अमरनाथ 113/484 जोगी	ग्राम गियाला (खाता संख्या 175)	663/403/2	0.2420
		योग	1	**0.2420**
3	मांगुनाथ पुत्र अमरनाथ जोगी	ग्राम गियाला (खाता संख्या 244 व 159)	321/1 311/1 404/1	0.0500 0.1500 0.2444
		योग	3	**0.4444**
4	भागुनाथ पुत्र नन्दानाथ 1/4 जोगी, लक्ष्मी पत्नि प्रभुवन 1/4 जोगी, सुवानाथ पुत्र अमरनाथ 1/4 जोगी, हीरानाथ पुत्र अमरचन्द 1/4 जोगी	ग्राम गियाला (खाता संख्या 244)	321/2 320/1 311/2	0.35 0.24 0.21
		योग	3	**0.80**
5	बद्रीदेवी पत्नि बाबुनाथ 153/1528 जोगी, हीरानाथ पुत्र अमरनाथ 1375/1528 जोगी	ग्राम गियाला (खाता संख्या 159)	404/2	0.3056
		योग	1	**0.3056**
6	सामलाती बदस्तुर	ग्राम गियाला (खाता संख्या 244)	319 321/3 320/2	0.03 0.03 0.02
		योग	3	**0.08**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाडोती)
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :–116 / 2024 दर्ज दिनांक 04.12.2024

जीसीएम प्रकरण संख्या :– 2024 / 283

अन्तर्गत धारा :– 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. कमलादेवी पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगुनाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. प्रेमनाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लादुनाथ पिता धीसानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवानाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हीरानाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मीदेवी पत्नि प्रभुवन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भागुनाथ पिता नन्दानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बद्रीदेवी पत्नि बाबुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एकपक्षीय

निर्णय दिनांक : 05.08.2025
डिक्री दिनांक : 05.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	कमलादेवी पत्नि मांगुनाथ 37 / 64 जोगी, मांगुनाथ पुत्र अमरनाथ 27 / 64 जोगी	ग्राम मियाला (खाता संख्या 175)	663 / 403 / 1	0.1280
		योग	1	0.1280

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2	प्रेमनाथ योगी पुत्र शंकरनाथ जोगी 57/242, प्रेमी पत्नि नारूनाथ 35/484 जोगीनाथ, लक्ष्मी पत्नि प्रभुवन 37/242 जोगी, लादूनाथ पुत्र धीसानाथ 37/242 जोगी, सुवानाथ पुत्र अमरनाथ 37/242 जोगी, हीरानाथ पुत्र अमरनाथ 113/484 जोगी	ग्राम मियाला (खाता संख्या 175)	663/403/2	0.2420
		योग	1	0.2420
3	मांगुनाथ पुत्र अमरनाथ जोगी	ग्राम मियाला (खाता संख्या 244 व 159)	321/1 311/1 404/1	0.0500 0.1500 0.2444
		योग	3	0.4444
4	भागुनाथ पुत्र नन्दानाथ 1/4 जोगी, लक्ष्मी पत्नि प्रभुवन 1/4 जोगी, सुवानाथ पुत्र अमरनाथ 1/4 जोगी, हीरानाथ पुत्र अमरचन्द 1/4 जोगी	ग्राम मियाला (खाता संख्या 244)	321/2 320/1 311/2	0.35 0.24 0.21
		योग	3	0.80
5	बद्रीदेवी पत्नि बाबुनाथ 153/1528 जोगी, हीरानाथ पुत्र अमरनाथ 1375/1528 जोगी	ग्राम मियाला (खाता संख्या 159)	404/2	0.3056
		योग	1	0.3056
6	सामलाती बदस्तुर	ग्राम मियाला (खाता संख्या 244)	319 321/3 320/2	0.03 0.03 0.02
		योग	3	0.08

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....वाबत् .... Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

वशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.08.2025 को जारी किया गया।

(करूणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)
(एस.डी.ओ.) रायपुर